भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2214
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

बाल दुर्व्यवहार की रोकथाम

2214. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का विचार बाल दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए कोई कानून बनाने का है;
(ख) यदि हाँ, तो कानून निर्माण की समय-सीमा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में विभिन्न पहल की हैं। बच्चों को यौन शोषण एवं यौन उत्पीड़न से बचाने के उद्देश्य से सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 पहले ही लागू कर दिया है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बालक के रूप में परिभाषित किया गया है।

(ग): बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों के लिए मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड लागू करने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में पॉक्सो अधिनियम, 2012 में संशोधन किया गया था ताकि अपराधियों को डराया जा सके और ऐसे अपराधों को रोका जा सके। पॉक्सो अधिनियम, 2012 में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष न्यायालयों की स्थापना का भी प्रावधान है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (वर्ष 2021 में यथासंशोधित) के लिए नोडल मंत्रालय है, जो बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है। इस अधिनियम में देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उल्लघंन करने वाले बच्चों (सीसीएल) की देखरेख, संरक्षण, विकास, उपचार एवं समाज में पुन: एकीकरण करके उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान है। यह बच्चों का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करने के लिए देखरेख और सुरक्षा मानकों को परिभाषित करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम और दत्तक ग्रहण विनियम भी लागू किए गए हैं। अन्य बातों के अलावा, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021, जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करने का अधिकार देता है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) की धारा 2(14) में विस्तृत मानदंड निर्धारित है जिसके अंतर्गत किसी भी बच्चे को देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला (सीएनसीपी) माना गया है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 3 में बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के सामान्य सिद्धांत निर्धारित हैं, जो हर समय बच्चों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देते हुए बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु सभी हितधारकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं।

इसके अलावा, एक शीर्ष संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन और हनन से संबंधित विभिन्न अधिनियमों और नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए अधिकृत है, जिसने बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. एनसीपीसीआर अपने अधिदेश के अनुसार और विभिन्न बाल अधिकार कानूनों में निहित प्रावधानों के अनुसार बाल दुर्व्यवहार से संबंधित किसी भी/सभी शिकायतों की जांच करता है या मीडिया (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया) में उपलब्ध जानकारी के आधार पर बाल दुर्व्यवहार सहित बाल अधिकारों के उल्लंघन और हनन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है;

ii. यह आयोग बाल दुर्व्यवहार से संबंधित किसी भी कानून के तहत किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करता है और समय-समय पर उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करता है;

iii. यह उन सभी कारकों की जाँच करता है जो बच्चों जिनमें आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, प्राकृतिक आपदा, दुर्व्यापार, एचआईवी/एड्स, वेश्यावृत्ति और यातना से प्रभावित बच्चे शामिल हैं के अधिकारों के आनंद को बाधित करते हैं,

iv. यह विशेष देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों जैसे कि संकटग्रस्त बच्चे, अपेक्षित और वंचित बच्चे, विधि का उल्लघंन करने वाले बच्चे, परिवारहीन बच्चे और कैदियों के बबच्चों के बाल दुर्व्यवहार से संबंधित मामलों की जाँच करता है।

v. यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार न हो, आयोग किसी भी किशोर संरक्षण गृह या बच्चों के लिए बनी किसी भी संस्था का निरीक्षण करता है या निरीक्षण करवाता है और उसके लिए उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है;

vi. बाल दुर्व्यवहार के बारे में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देता है, जागरूकता पैदा करता है एवं जानकारी का प्रसार करता है ;

उपर्युक्त के अनुसार, एनसीपीसीआर परामर्श, दिशानिर्देश जारी करना, जागरूकता अभियान चलाना, हितधारकों के साथ सम्मेलन, लंबित शिकायतों की निरंतर निगरानी और उनका त्वरित समाधान इत्यादि जैसे विभिन्न पहल करता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पूर्वनिर्धारित वित्तीय मानदंडों के आधार पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से 'मिशन वात्सल्य' नामक केंद्र प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य सीएनसीपी और सीसीएल के लिए विभिन्न सेवाएँ प्रदान करना है, जिनमें संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख सेवाएँ शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ, आयु-अनुकूल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख और परामर्श प्रदान करते हैं। गैर-संस्थागत देखरेख घटक के अंतर्गत, गोद लेने, पालन-पोषण, पश्चात देखरेख और प्रायोजन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

यह योजना कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए टोल-फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से आपातकालीन आउटरीच सेवाएं (24x7x365) भी प्रदान करती है, जिसे गृह मंत्रालय की टोल-फ्री आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली-112 (ईआरएसएस-112) हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने नाबालिग गर्भवती बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वयन हेतु मौजूदा योजनाओं की कमियों को दूर करने के लिए निर्भया कोष से "पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत पीड़ितों के लिए देखरेख और सहायता योजना" नामक केंद्रीय वित्त पोषित योजना भी शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित नाबालिग गर्भवती बालिकाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करना है तथा उन्हें दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच प्रदान करना है, जिसमें एक ही स्थान पर शिक्षा, पुलिस सहायता, चिकित्सा (इसमें मातृत्व, नवजात और शिशु देखरेख भी शामिल है), मनोवैज्ञानिक, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, कानूनी सहायता, गैर-संस्थागत देखरेख सहायता, बाल देखरेख संस्थानों/पश्चात देखरेख सुविधाओं में रहने का स्थान तथा पीड़ित बालिका और उसके नवजात शिशु के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर शामिल है।

इसके अलावा, 2023 में बनाया गया नए आपराधिक कानूनों में विभिन्न प्रावधान, अर्थात भारतीय न्याय संहिता, 2023, जो भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित करती है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को प्रतिस्थापित करती है, बच्चों के यौन शोषण के विरुद्ध प्रभावी रोकथाम प्रदान करते हैं। भारतीय न्याय संहिता में 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के साथ बलात्कार के लिए मृत्युदंड और 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के साथ बलात्कार के मामलों में व्यक्ति के शेष जीवनकाल के लिए कारावास सहित और भी कठोर दंडात्मक प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 में बच्चों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में दो महीने के भीतर जाँच पूरी करने तथा दो महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने को अनिवार्य बनाया गया है (बीएनएसएस, 2023 की धारा 346)।

इसके अलावा, विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने सूचित किया है कि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में , भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित मामलों की शीघ्र सुनवाई और समयबद्ध तरीके से निपटान हेतु फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना हेतु अगस्त, 2019 में योजना को अंतिम रूप दिया। दिनांक 30.04.2025 तक, देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 405 विशिष्ट पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 746 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कार्यरत हैं, जिन्होंने योजना की शुरुआत से लेकर 30.04.2025 तक 3,25,364 मामलों का निपटान किया है। दिनांक 30.04.2025 तक कार्यरत एफटीएससी और एफटीएससी के तहत निपटाए गए मामलों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

*****

अनुलग्नक

‘बाल दुर्व्यवहार की रोकथाम के संबंध में दिनांक 01.08.2025 को लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2214 का अनुलग्नक में जिसमें दिनांक 30.04.2025 तक कार्यरत एफटीएससी और एफटीएससी में निपटाए गए प्रस्तुत मामलों का राज्यवार विवरण दिया गया है।

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यरत न्यायालय		योजना की शुरुआत से अब तक संचयी निपटान		
		ई -पॉक्सो सहित एफटीएससी	ई- पॉक्सो	एफटीएससी	ई- पॉक्सो	कुल
1	आंध्र प्रदेश	16	16	0	7183	7183
2	असम	17	17	0	8507	8507
3	बिहार	46	46	0	16232	16232
4	चंडीगढ़	1	0	358	0	358
5	छत्तीसगढ़	15	11	1246	4985	6231
6	दिल्ली	16	11	736	1881	2617
7	गोवा	1	0	76	34	110
8	गुजरात	35	24	3211	12800	16011
9	हरियाणा	16	12	1972	5941	7913
10	हिमाचल प्रदेश	6	3	558	781	1339
11	जम्मू एवं कश्मीर	**4**	2	139	163	302
12	झारखंड	22	16	2737	6212	8949
13	कर्नाटक	30	17	5230	8432	13662
14	केरल	55	14	17776	7734	25510
15	मध्य प्रदेश	67	56	4776	26565	31341
16	महाराष्ट्र	4	1	8711	12008	20719
17	मणिपुर	2	0	180	0	180
18	मेघालय	5	5	0	703	703
19	मिजोरम	3	1	196	68	264
20	नागालैंड	1	0	65	3	68
21	ओडिशा	44	23	6968	12652	19620
22	पुददुचेरी*	1	1	0	150	150
23	पंजाब	12	3	2707	2439	5146
24	राजस्थान	45	30	5639	13130	18769
25	तमिलनाडु	14	14	0	9918	9918
26	तेलंगाना	36	0	8344	2731	11075
27	त्रिपुरा	**3**	1	242	229	471

28	उत्तराखंड	4	0	1891	0	1891
29	उत्तर प्रदेश	218	74	42895	46852	89747
30	पश्चिम बंगाल	7	7	0	378	378
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह **	0	0	0	0	0
32	अरुणाचल प्रदेश***	0	0	0	0	0
	कुल	**746**	**405**	**116653**	**208711**	**325364**